बिहार सरकार
उद्योग विभाग

03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं0–721, दिनांक–15.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार ने उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़िकरण की योजनान्तर्गत कुल अनुमानित व्यय ₹378.85 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख पचासी हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है।

उक्त स्वीकृत राशि उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को सहायक अनुदान मद के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। फलस्वरूप कंडिका–7 एवं 15 को आंशिक रूप से निम्नरूपेण विलोपित की जाती है।

1. विभागीय राज्यादेश सं0–721, दिनांक–15.03.2017 के कंडिका–7 एवं 15 में उल्लेखित अग्रिम के रूप मे एकमुश्त निकासी वाक्य को कंडिका–7 एवं 15 से विलोपित की जाती है।
2. राज्यादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13
पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 973 /
03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13
पटना, दिनांक 30.3.17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/17
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
30/3/17

D:drive suieet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------121

बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

पत्रांक:– 721 /
03/उ0नि0/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13

पटना, दिनांक:– 15.3.17

प्रेषक,

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़िकरण की योजनान्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुरूप कुल अनुमानित व्यय ₹378.85 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख पचासी हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3281, पटना, दिनांक–17.08.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़िकरण की योजनान्तर्गत **संलग्न परिशिष्ट–1** के अनुरूप कुल अनुमानित व्यय ₹378.85 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख पचासी हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय **संलग्न परिशिष्ट–1** के अनुरूप किया जायेगा।

3. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना सोसाईटी रजिस्ट्रेसन एक्ट 1860 अन्तर्गत निबंधित हैं, जिसका निबंधन सं0–5000015 वर्ष 2016–17 हैं।

4. जहॉ पर हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण, प्रचार–प्रसार, बदलते परिवेश में हस्तशिल्प के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादनुतनता, नई तकनीक की जानकारी, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्रशिक्षण, डिजाईन, विपणन की व्यवस्था, कच्चे माल की आपूर्ति, संवर्द्धन तथा हस्तशिल्पियों के आर्थिक विकास के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जिसका मुख्य उदेश्य राज्य के हस्तशिल्पियों का चौमुखी विकास कराना हैं।

5. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संस्थान के The Memorandum of Association and Rules and Regulations द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप की जाएगी।

6. प्रस्तावित राशि का व्यय मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, उपशीर्ष–0113, शिल्प अनु0 संस्थान की योजना का सुदृढ़िकरण, मॉग सं0–23, विषय शीर्ष–31 04 सहायक अनुदान वेतन मद में ₹48.85 लाख मात्र, विषय शीर्ष–31 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण मद में ₹30.00 लाख, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹300.00 लाख मात्र विपत्र कोड–P2851001030113 अन्तर्गत द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपलब्ध राशि से विकलित होगा। जिसके लिये चालू वित्तिय वर्ष–2016–17 में यथेष्ठ बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से अग्रिम के रूप में एकमुश्त कर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 सं0, पटना को आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगें। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान के निदेशक–सह–सदस्य सचिव की होगी।

9. लेखा के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

10. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक 4263 दिनांक 20.05.2014 निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जायेगी।

11. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

12. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–*03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13* के **पृष्ट–119/टि0** पर दिनांक **21.02.17** को प्राप्त है। जिसका गै0सं0प्रे0सं0–30, दिनांक **16.02.17** है।

13. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13* के पृष्ट–126/टि0 पर दिनांक–10.3.2017 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–42/OSD, दिनांक–10.3.17 है।

14. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2), दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक पंत्राक–2938 वि0 (2), दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–15 के शिथिलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

16. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

10/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 721 /

03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13

पटना, दिनांक 15.3.17

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 721 /

03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13

पटना, दिनांक 15.3.17

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 721 /

03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13

पटना, दिनांक 15.3.17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/ प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना का सुदृढ़िकरण की योजनान्तर्गत मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, उपशीर्ष–0113, शिल्प अनु0 संस्थान की योजना का सुदृढ़िकरण, मॉग सं0–23, विपत्र कोड– P2851001030113 अन्तर्गत मदवार अनुमानित व्यय विवरणी :–

क्र0	कार्यक्रम	अनुमानित व्यय राशि
1	संस्थान परिसर,पटना एवं अन्य शहरों में 10 दिवसीय हॉबी क्लासेस	40,00,000.00
2	राज्य के विद्यालयों / महाविद्यालयों में 10 दिवसीय Young Craftman Trainning Programme.	38,08,000.00
3	शिल्पोत्सव	
	(क) राज्य पुरस्कार	15,00,000.00
	(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प कार्यशाला	20,00,000.00
	(ग) क्राफ्ट बाजार	20,00,000.00
4	मंजूशा महोत्सव एवं आच्छादान	20,00,000.00
5	सूरज कुंड मेला (हरियाणा)	10,00,000.00
6	मेला / प्रदर्शनी / सेमिनार / समारोह	25,00,000.00
7	वाहन एवं ईंधन मद (दिसम्बर, 2016 से जून, 2017 तक)	2,50,000.00
8	Buyers – Sellers Online / Photo Studio	28,00,000.00
9	जेनेरेटर का क्रय / रख–रखाव	4,00,000.00
10	कच्चा माल	2,20,000.00
11	प्रचार–प्रसार	1,00,000.00
12	स्टेशनरी एवं कार्यालय संबंधी अन्यान्य व्यय	3,50,000.00
13	विज्ञापन मद	6,00,000.00
14	हस्तशिल्प पर आधारित Coffee Table/Leaflet / इत्यादि का प्रकाशन एवं मुद्रण। नववर्श, 2017 पर हस्तशिल्प से चित्रित मग, कप इत्यादि का वितरण।	30,00,000.00
15	विद्युत प्रभार	3,50,000.00
16	दूरभाष	75,000.00
17	अनुरक्षण एवं मरम्मति मद	3,00,000.00
18	गेस्ट रूम, पटना हाट, छात्रावास, कान्फ्रेन्स हॉल, म्यूजियम, शो–केश का रख–रखाव आदि	6,00,000.00
19	मशीन एवं टूल्स	3,00,000.00
20	पुस्तकालय हेतु पुस्तक का क्रय	2,00,000.00
21	अंकेक्षण मद	50,000.00
22	बेवसाईट का मेंटेनेंस	50,000.00
23	छात्रवृत्ति एवं छात्रावास भत्ता मद	3,50,000.00
24	संस्थान परिसर की साफ–सफाई (जनवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक) (61,000×7)	4,27,000.00
25	सुरक्षा प्रहरी (जनवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक) (1,10,000 × 7)	7,70,000.00
26	डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय (बेल्ट्रॉन के माध्यम से)	2,75,000.00
27.	संस्थान के प्रशिक्षण शाखाओं में रिक्त पदों पर प्रशिक्षक का मानदेय (जनवरी, 2017 से)	19,00,000.00
28.	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को अंशदान के रूप में देय राशि	24,50,000.00
29.	यात्रा भत्ता मद	2,60,000.00
30.	आधारभूत संरचनाओं का निर्माण	30,00,000.00
	स्वीकृत राशि का कुल योग :–	₹3,78,85,000.00

(रूपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख पचासी हजार मात्र)

1/3/2017

(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:\drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order\2015-16..........107